



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275781
CG-DL-E-27082026-275781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4513]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4513]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4698(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए के जौनपुर से अकबरपुर खण्ड के कि.मी. 139.000 से कि.मी. 179.200 (पैकेज-III) के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य एवं अंबेडकरनगर बाईपास के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), अम्बेडकरनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश

अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए के जौनपुर से अकबरपुर खण्ड के कि.मी. 139.000 से कि.मी. 179.200 (पैकेज-III) के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य एवं अंबेडकरनगर बाईपास के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: अम्बेडकर नगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जलालपुर					
गांव का नाम: हाजीपुर					
1	91	निजी	कृषि	0.0364 (हेक्टेयर)	0.0364
गांव का नाम: खजूरी करौंदी					
2	228	निजी	कृषि	0.4313 (हेक्टेयर)	0.4313
तालुक का नाम: अकबरपुर					
गांव का नाम: कसरुवा					
3	750	निजी	कृषि	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
गांव का नाम: चंदनपुर					
4	1087	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
5	1089	निजी	कृषि / अकृषि	0.074 (हेक्टेयर)	0.074
6	1090	सामान्य	कृषि/धर्मशाला	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
गांव का नाम: इस्माइलपुर गंज					
7	354	निजी	कृषि	0.1006 (हेक्टेयर)	0.1006
8	78	निजी	कृषि	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
गांव का नाम: लोरपुर ताजन					
9	1836	निजी	कृषि	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
10	1837	निजी	कृषि	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
11	1838	निजी	कृषि	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
12	1839	निजी	कृषि	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043

13	1840	निजी	कृषि	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
14	1841	निजी	कृषि	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
15	1842	निजी	कृषि	0.0069 (हेक्टेयर)	0.0069
16	1843	निजी	कृषि	0.0166 (हेक्टेयर)	0.0166
17	1844	निजी	कृषि	0.0104 (हेक्टेयर)	0.0104
18	1845	निजी	कृषि	0.0104 (हेक्टेयर)	0.0104
19	1846	निजी	कृषि	0.0091 (हेक्टेयर)	0.0091
20	1847	निजी	कृषि	0.0088 (हेक्टेयर)	0.0088
21	1848	निजी	कृषि	0.0093 (हेक्टेयर)	0.0093
22	1849	निजी	कृषि	0.0096 (हेक्टेयर)	0.0096
23	1850	निजी	कृषि	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
24	1851	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
25	1852	निजी	कृषि	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
26	1980	निजी	कृषि	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
गांव का नाम: मिर्जापुर					
27	284	निजी	कृषि	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
गांव का नाम: मिर्जापुर कोडरा					
28	341	सरकारी	चकमार्ग	0.0156 (हेक्टेयर)	0.0156
29	347	निजी	कृषि	0.0656 (हेक्टेयर)	0.0656
30	490	निजी	कृषि	0.1282 (हेक्टेयर)	0.1282
गांव का नाम: गोविंदपुर गणेशपुर					
31	140	निजी	कृषि	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
32	73	सरकारी	चकमार्ग	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
Total					1.0375

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A(PKg-III)/2023-24/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4698(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 135A, in the stretch of land in design chainage from km. 139.00 to km. 179.20 for Widening to 4 lane from Km. 139.00 to Km. 179.20 Pkg-III (Jaunpur – Akbarpur section) and Akbarpur bypass of NH-135A in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (F&R), Ambedkar Nagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired for Widening to 4 lane from Km. 139.00 to Km. 179.20 Pkg-III (Jaunpur – Akbarpur section) and Akbarpur bypass of NH-135A in the State of Uttar Pradesh

State: UTTAR PRADESH			District: AMBEDKAR NAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jalalpur					
Village: Hajipur					
1	91	Private	Agriculture	0.0364 (Hectare)	0.0364
Village: Khajori Karoodi					
2	228	Private	Agriculture	0.4313 (Hectare)	0.4313
Taluk: Akbarpur					
Village: Kasaruwa					
3	750	Private	Agriculture	0.0017 (Hectare)	0.0017
Village: Chandanpur					
4	1087	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
5	1089	Private	Agriculture/ Non Agriculture	0.074 (Hectare)	0.074
6	1090	Common	Agriculture/Dharamshala	0.006 (Hectare)	0.006
Village: Ismaialpur ganj					
7	354	Private	Agriculture	0.1006 (Hectare)	0.1006

8	78	Private	Agriculture	0.0042 (Hectare)	0.0042
Village: Lorpur Tajan					
9	1836	Private	Agriculture	0.0036 (Hectare)	0.0036
10	1837	Private	Agriculture	0.0047 (Hectare)	0.0047
11	1838	Private	Agriculture	0.0045 (Hectare)	0.0045
12	1839	Private	Agriculture	0.0043 (Hectare)	0.0043
13	1840	Private	Agriculture	0.0046 (Hectare)	0.0046
14	1841	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
15	1842	Private	Agriculture	0.0069 (Hectare)	0.0069
16	1843	Private	Agriculture	0.0166 (Hectare)	0.0166
17	1844	Private	Agriculture	0.0104 (Hectare)	0.0104
18	1845	Private	Agriculture	0.0104 (Hectare)	0.0104
19	1846	Private	Agriculture	0.0091 (Hectare)	0.0091
20	1847	Private	Agriculture	0.0088 (Hectare)	0.0088
21	1848	Private	Agriculture	0.0093 (Hectare)	0.0093
22	1849	Private	Agriculture	0.0096 (Hectare)	0.0096
23	1850	Private	Agriculture	0.011 (Hectare)	0.011
24	1851	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
25	1852	Private	Agriculture	0.011 (Hectare)	0.011
26	1980	Private	Agriculture	0.0004 (Hectare)	0.0004
Village: Mirzapur					
27	284	Private	Agriculture	0.0105 (Hectare)	0.0105
Village: Mirajpur Kodara					
28	341	Government	Chakmarg	0.0156 (Hectare)	0.0156
29	347	Private	Agriculture	0.0656 (Hectare)	0.0656
30	490	Private	Agriculture	0.1282 (Hectare)	0.1282
Village: Govindpur Ganeshpur					
31	140	Private	Agriculture	0.0002 (Hectare)	0.0002
32	73	Government	Chakmarg	0.014 (Hectare)	0.014
Total					1.0375

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A(PKg-III)/2023-24/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director